

कार्यालय नगर निगम देहरादून।

सार्वजनिक नीलामी सूचना

नगर निगम देहरादून निष्प्रयोज्य डीजल वाहन संख्या-यू0ए07-5136(टिप्पर ट्रक) मॉडल 2001, वाहन संख्या यू0ए07-5751 (टिप्पर ट्रक) मॉडल 2001, वाहन संख्या यू0ए07-9739 (एस्कोर्ट लोडर) मॉडल 1998, वाहन संख्या-यू0जी0ए0-9490 (टाटा ट्रक) मॉडल 1989, वाहन संख्या-यू0ए07ई0-7072(आईशर ट्रक) मॉडल 2003, वाहन संख्या-यू0ए07ई-7073 (स्वराज माजदा ट्रक) मॉडल 2003, वाहन संख्या-7074 (स्वराज माजदा ट्रक) मॉडल 2003, की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 07/01/2019 को अपराह्न 11:00 बजे नगर निगम देहरादून मयूर विहार स्थित (वर्कशॉप) में नीलामी हेतु गाठित समिति के सम्मुख वेबसाईट पर अपलोड शर्तों पर की जायेगी। वाहनों के निरीक्षण हेतु इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में नगर निगम देहरादून के मयूर विहार स्थित वर्कशॉप में निरीक्षण कर सकते हैं। सार्वजनिक सूचना शर्तें एवं विवरण नगर निगम देहरादून की वेबसाईट www.nagarnigamdehradun.Com पर भी उपलब्ध रहेगा।

नगर आयुक्त
नगर निगम देहरादून।

नीलामी की शर्तें:-

1. प्रत्येक बोली बोलने वाले व्यक्ति को बोली से रू0 10000/-प्रत्येक वाहन के लिये अलग-अलग नकद धनराशि के रूप में विभाग के लेखा अनुभाग में जमा करनी होगी। बिना धरोहर राशि जमा किये कोई व्यक्ति बोली में भाग नहीं ले सकता है। धरोहर राशि बोली की समाप्ति पर (उच्चतम बोलीदाता को छोड़कर) वापस कर दी जायेगी।
2. किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार कराने का अधिकार समिति के पास सुरक्षित होगा। बिना कारण बताए किसी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार समिति के पास सुरक्षित है।
3. नीलामी में कोई व्यक्ति तब तक बोली नहीं बोल सकता जब तक कि नीलामी में उपस्थित व्यक्ति का लिखित प्राधिकार पत्र उसके पास न हो।
4. बोली के दौरान सम्पूर्ण प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता के संज्ञान में आने पर बोली निरस्त करने का अधिकार समिति के पास सुरक्षित है।
5. उच्चतम बोलीदाता को बोली समाप्त होने के बाद समाप्त होने के बाद सांय 04.00 बजे तक बोली की 50 प्रतिशत धनराशि जमा करानी होगी ऐसा न करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
6. सक्षम अधिकारी द्वारा बोली स्वीकार किये जाने के 07 दिन के भीतर बोलीदाता को सम्पूर्ण धनराशि जमाकर, एक सप्ताह के भीतर वाहन उठाना होगा।
7. अन्तिम स्वीकृति के बाद किसी प्रकार की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
8. वाहनों की नीलामी जहां है जैसी है कि स्थिति में है के, आधार पर की जायेगी उच्चतम बोलीदाता को जी0एस0टी0 अलग से जमा करना होगा।
9. किसी भी वाहन की बोली हेतु सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) द्वारा आंकलित न्यूनतम अनुमानित मूल्य के 10% से अधिक नीचे नहीं होना चाहिए।

पत्रांक संख्या:- 44050m

दिनांक:- 17/12/18


प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. नगर आयुक्त महोदय को उनके आदेश के कम में सूचनार्थ प्रेषित।
2. सम्पादक हिन्दुस्तान हिन्दी समाचार पत्र को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन नियमानुसार देहरादून संस्करण में आगामी अंक में 50 sqcm क्षेत्र में प्रकाशित कराते हुये 35 प्रतिशत छूट के साथ समाचार पत्र की दो प्रति नि:शुल्क उपलब्ध कराते हुए बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
3. अमर उजाला, समाचार पत्र को इस आशय से कि उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन अपने व्यवसायिक दरों में 35 प्रतिशत छूट प्रदान करते हुए देहरादून व उत्तराखण्ड संस्करण में आगामी अंक में 50 sqcm क्षेत्र में प्रकाशित कराते हुए समाचार पत्र की दो प्रति नि:शुल्क उपलब्ध कराते हुए बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
4. आई0टी0 ऑफिसर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वाहनों की सार्वजनिक नीलामी सूचना नगर निगम की वेबसाईट पर डाउनलोड करना सुनिश्चित करें।
5. नगर निगम कार्यालय नोटिस बोर्ड में चरपा हेतु।

मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम देहरादून।

सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक) द्वारा नगर निगम देहरादून के वाहनों का मूल्यांकन कर न्यूनतम मूल्य निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है।

क्र०सं०	वाहन संख्या	वाहन का प्रकार एवं वर्ष	वर्तमान न्यूनतम अनुमानित मूल्यांकन (रु)
1	यू०ए०७ई-७०७२	आयशर ट्रक, 2003	87500
2	यू०जी०ए०-९४९६	टाटा 1210, 1989	65000
3	यू०ए०७-५१३६	डी०सी०एम०, 2001	68750
4	यू०ए०७ई०-७०७३	स्वराज माजदा, 2003	70000
5	यू०ए०७ई-७०७४	स्वराज माजदा, 2003	70000
6	यू०पी०७के-९७३९	लोडर, 1998	84000
7	यू०ए०ई०-५७५१	टिप्पर, 2001	38000
8	डी०सी०एम०मशीन	1994	60000


मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी
नगर निगम देहरादून।